न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 01 / 2024 / जैसलमेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. गोविन्दसिंह पुत्र सावंतसिंह 2. कंवराजसिंह पुत्र सांवतसिंह जातियान राजपूत निवासीयान कोहरा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 3. केंकूकंवर पुत्री सांवतसिंह पत्नी भूरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रोई तहसील रामसर जिला बाड़मेर 4. पवनकंवर पुत्री सांवतसिंह पत्नी पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सुवाला तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. नारायणसिंह पुत्र शिवदानसिंह 2. हरखसिंह पुत्र चौथसिंह 3. इन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह 4. खेतसिंह पुत्र सावंतसिंह जातियान राजपूत निवासीयान कोहरा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 5. लूणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी धीरपुरा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 6. श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 7. श्रीमान प्रबंधक कोरपोरेशन बैंक शाखा जैसलमेर 8. श्रीमान प्रबंधक बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा देवीकोट 9. जगरूपाराम पुत्र गोरखाराम जाति रावणा राजपूत निवासी झिनझिनयाली तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 10. नारायणसिंह पुत्र मेहताबसिंह जाति राजपूत निवासी मोढा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 11. भूरसिंह भाटी पुत्र कुम्पसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी मोढा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2016 बअनवान गोविन्दसिंह वगैरा बनाम नारायणसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री धनपतसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 10, 11की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 13.11.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस स्व. सावंतसिंह पुत्र अजीतसिंह के प्रथम वर्ग के वारिसान हैं। कि समरी बंदोबस्त के समय अपीलांट के पिता स्व. सावंतसिंह की खातेदारी में खेत खसरा संख्या 37 रकबा 92 बीघा मौजा कोहरा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में अवस्थित था। समरी बंदोबस्त के खेत खसरा संख्या 37 से मौजूदा बंदोबस्त के नवीन खसरा संख्या 149 कायम हुआ था तथा भू प्रबंध विभाग ने खसरा संख्या 149 रकबा 151.02 बीघा का पर्चा लगान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 4 के पिता सांवतसिंह, उतरदाता संख्या 1 नारायणसिंह, उतरदाता संख्या 2 व 3 हरखसिंह व इन्द्रसिंह के नाम से जारी किया गया था। जिस संबंध में भू प्रबंध विभाग द्वारा जो खसरा परिशोधन पत्र तैयार किया गया था उसमें उक्त परिवर्तन का कारण बंटवारा बताया गया था। समरी बंदोबस्त का खेत खसरा संख्या 37 जिसका रकबा अर्थात क्षेत्रफल अंदाजिया कामय हुआ था केवल अपीलांट के पिता स्व. सावंतसिंह अकेले की खातेदारी का था। उक्त आराजी में उनका कोई सह खातेदार नहीं था तथा इसका लगान भी अकेले सावंतसिंह के नाम कायम होता था व स्व. सावंतसिंह ने ही लगान अदा किया था। स्वयं सावंतसिंह अशिक्षित थे एवं उन्हें मौजूदा भू प्रबंध की इन प्रविष्टियों का कोई ज्ञान नहीं था एवं समरी बंदोबस्त से पूर्व से जागीर काल से अपने जीवन प्रर्यन्त वह ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करते रहे। उनके साथ उनके तीनों पुत्र अपीलांट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उतरदाता संख्या 4 उक्त आराजी में काश्त करने में उनकी सहायता करते थे तथा उनके देहान्त के पश्चात अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 4 बहैसियत खातेदार कृषक काश्त करते आ रहे है। उतरदाता संख्या 1 व 3 के वालिदान क्रमशः शिवदानसिंह व प्रतापसिंह एवं प्रतिवादी/उतरदाता संख्या 2 कभी भी वादग्रस्त आराजी में वादीगण/अपीलांट के पिता के साथ सहखातेदार नहीं रहे है एवं न ही कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्तकार रहे है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 4 के पिता सावंतसिंह व उतरदता संख्या 01 व 03 के पिता तथा उतरदाता संख्या 2 की खातेदारी भूमियां अलग–अलग रही है यदि सभी की खातेदारी भूमि वादग्रस्त आराजी होती तो सभी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा भी बराबर–बराबर होता जबकि अपीलांट के पिता सावंतसिंह व खेतसिंह के हिस्से में मात्र 66 बीघा भूमि, उतरदाता संख्या 02 के हिस्से में 152 बीघा व उतरदाता संख्या 3 को 131 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है, जो की एक बेमेल विभाजन प्रतीत होता है, जिसका अंकन तत्समय भू प्रबंध अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर मनमर्जी से उतरदातागण के नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया था। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद में उतरदाता को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 18.10.2023 को वास्ते तनकीयात हेतु कायम थी एवं इस अवधि में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के चुनावों की आचार संहिता लागू थी एवं दिनांक 25.11.2023 को एम एल ए चुनाव थे ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का कार्य बन्द था किन्तु इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली मे कार्य करते हुए पत्रावली दिनांक 25.10.2023 को उरतदाता संख्या 01 से 03 की और से आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का आवेदन अपीलांटस की अनुपस्थिति में पेश किया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

17-11-16

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस स्व. सावंतसिंह पुत्र अजीतसिंह के प्रथम वर्ग के वारिसान हैं। कि समरी बंदोबस्त के समय अपीलांट के पिता स्व. सावंतसिंह की खातेदारी में खेत खसरा संख्या 37 रकबा 92 बीघा मौजा कोहरा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर में अवस्थित था। समरी बंदोबस्त के खेत खसरा संख्या 37 से मौजूदा बंदोवस्त के नवीन खसरा संख्या 149 कायम हुआ था तथा भू प्रबंध विभाग ने खसरा संख्या 149 रकबा 151.02 बीघा का पर्चा लगान अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 4 के पिता सांवतसिंह, उतरदाता संख्या 1 नारायणसिंह, उतरदाता संख्या 2 व 3 हरखसिंह व इन्द्रसिंह के नाम से जारी किया गया था। जिस संबंध में भू प्रबंध विभाग द्वारा जो खसरा परिशोधन पत्र तैयार किया गया था उसमें उक्त परिवर्तन का कारण बंटवारा बताया गया था। समरी बंदोबस्त का खेत खसरा संख्या 37 जिसका रकबा अर्थात क्षेत्रफल अंदाजिया कामय हुआ था केवल अपीलांट के पिता स्व. सावंतसिंह अकेले की खातेदारी का था। उक्त आराजी में उनका कोई सह खातेदार नहीं था तथा इसका लगान भी अकेले सावंतसिंह के नाम कायम होता था व स्व. सावंतसिंह ने ही लगान अदा किया था। स्वयं सावंतसिंह अशिक्षित थे एवं उन्हें मौजूदा भू प्रबंध की इन प्रविष्टियों का कोई ज्ञान नहीं था एवं समरी बंदोबस्त से पूर्व से जागीर काल से अपने जीवन प्रर्यन्त वह ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करते रहे। उनके साथ उनके तीनों पुत्र अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 4 उक्त आराजी में काश्त करने में उनकी सहायता करते थे तथा उनके देहान्त के पश्चात अपीलांट एवं उतरदाता संख्या 4 बहैसियत खातेदार कृषक काश्त करते आ रहे है। उतरदाता संख्या 1 व 3 के वालिदान क्रमशः शिवदानसिंह व प्रतापसिंह एवं प्रतिवादी/उतरदाता संख्या 2 कभी भी वादग्रस्त आराजी में वादीगण/अपीलांट के पिता के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहखातेदार नहीं रहे है एवं न ही कभी भी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्तकार रहे है। अपीलांट व उतरदाता संख्या 4 के पिता सावंतसिंह व उतरदता संख्या 01 व 03 के पिता तथा उतरदाता संख्या 2 की खातेदारी भूमियां अलग–अलग रही है यदि सभी की खातेदारी भूमि वादग्रस्त आराजी होती तो सभी का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा भी बराबर–बराबर होता जबकि अपीलांट के पिता सावंतसिंह व खेतसिंह के हिस्से में मात्र 66 बीघा भूमि, उतरदाता संख्या 02 के हिस्से में 152 बीघा व उतरदाता संख्या 3 को 131 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज है, जो की एक बेमेल विभाजन प्रतीत होता है, जिसका अंकन तत्समय भू प्रबंध अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग कर मनमर्जी से उतरदातागण के नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया था। आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में वाद पत्र खारिज करने के लिये कुल 6 आधार वर्णित किये गये है जिसमें प्रथम वाद हेतुक प्रकट नहीं करना, दुसरा दावा का वाद मूल्याकन कम करना, तीसरा न्यायशुल्क कम अदा करना, चौथा विधि द्वारा वर्जित होना, पांचवा वाद दो प्रतियों में पेश न होना, छठा नियम 9 की अनुपालना न करने के आधार पर ही वाद पत्र खारिज किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आधार को मानकर आलोच्य वाद पत्र खारिज किया गया है वौ आधार आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में प्रकट नहीं होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रतिकूल जाकर पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। वादीगण ने लगभग 50 वर्ष बाद वाद पेश किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वैधानिक रूप से पोषणिय नहीं है तथा काबिल खारिज है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हुए करीब 50 वर्ष हो गये है और 50 वर्ष पश्चात वाद लाया जाना उचित नहीं है तथा रेकर्ड के अनुसार प्रतिवादीगण एवं वादीगण वादग्रस्त आराजी के वर्तमान रिकॉर्डेड खातेदार एवं एक ही परिवार के है तथा पर्चा खतौनी में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि भाई बंट में प्राप्त हुई है। वक्त सेटलमेंट के समय भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष सावंतसिंह स्वयं ने अंगुष्ठ निशान करते हुए भूमि का बंटवारा करवाया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील/वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया। प्रथम सेटलमेंट के समय अपीलाधीन आराजी परिवार के बड़े सदस्य सावंतसिंह के नाम खातेदारी जारी की गई। पुनः सेटलमेंट होने पर परिवार के वंश वृक्ष के अनुसार सभी सदस्यों के नाम खातेदारी अधिकारी दिये गये। दुसरे सेटलमेंट के वक्त सहमति स्वरूप सांवतसिंह व शिवदान के लड़के नारायणसिंह व भोपालसिंह तीनों के अंगुष्ठ निशान है। वक्त सेटलमेंट के समय भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष उभयपक्षकारान ने अंगुष्ठ निशान करते हुए भूमि का बंटवारा करवाया है। तीन पीढियां गुजरने के बाद तकरीबन 50 वर्ष पश्चात हस्तगत वाद पेश किया गया जो विधि से वर्जित है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

17-11-16

की नियत से गलत रूप से अपील/वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन किया गया। वाद चलने योग्य नहीं होने से वाद में तनकीयात कायम की आवश्यकता ही नहीं रहती है। अपीलांट/वादी को सुनवाई का मौका दिया गया है। अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण करते प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार कर वाद चलने योग्य नहीं होने से तथा विधि वर्जित होने हस्तगत वाद को खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसके विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 43/2016 बअनवान गोविन्दसिंह वगैरा बनाम नारायणसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.11.2023 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर